

आदेश

2060
20/11/16
नवम्बर

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 03 2016 के आधार पर जम्पद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट अन्तर्गत कमेडीदेवी से झाकरा तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.470 हे० की दुगुनी अवन्त भूमि 2.940 हे० जो ग्राम बढियाकोट पटवारी क्षेत्र बढियाकोट सहस्राल कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के क्षेत्र बढियाकोट खेत नम्बर 8281 रकबा 3.030 हे०, मध्ये 2.940 हे०, कुल रकबा 2.940 हे० श्रेणी 9(3)ख जंगल के रीमाईन्सी खेत नम्बर 8281 रकबा 3.030 हे०, मध्ये 2.940 हे०, कुल रकबा 2.940 हे० 2012-18(120) / 2012 रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173 / xviii(11) / 2012-18(120) / 2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 804 / X-4-16 / 1(230) / 2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्गीकृत 2.940 हे० भूमि को क्षतिपूर्क यूशोरोपय किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण / नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 55 / छबीस वन / 2016-17 दिनांक 25 / 11 / 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2-प्रविशानी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3-उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4-सहस्रालदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्गीकृत भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि को खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अवोहस्तासारी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

20/11/16

20/11/16

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट